पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम

दिनांक : 27/01/2025

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम द्वारा विद्यालय परिसर स्थित विद्यालय कैन्टीन के संचालन हेतु योग्य एवं इच्छुक फ़र्मों/व्यक्तियों से निविदा फार्म मे वर्णित शर्तों के अधीन मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है । निविदा फार्म की विद्यालय की वेबसाईट www.kvs.ratlam.ac.in के ANNOUNCEMENT SECTION से विज्ञापन जारी होने की तारीख 27/01/2025 से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मुहरबंद निविदाए पंजीकृत डाक/द्रुतगामी डाक के माध्यम से दिनांक 09/02/2025 तक विद्यालय कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए । निविदा दिनांक 10/02/2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्राचार्य कक्ष में खोली जाएंगी।

प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय
रतलाम

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

दिनांक : 27/01/2025

विषय : विद्यालय कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा।

1. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित विद्यालय कैन्टीन के संचालन हेतु योग्य एवं इच्छुक फर्मो/व्यक्तियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा के दो भाग होंगे, प्रथम तकनीकी बिड तथा द्वितीय वित्तीय बिड।
3. तकनीकी बिड में निम्न दस्तावेज ;
    a) हस्ताक्षरित निविदा प्रप्रत्र
    b) सेवाकर / जी. एस. टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
    c) FSSAI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
    d) अग्रधन (ERANEST MONEY DEPOSIT- E.M.D.) के रूप मे KV RATLAM VVN के नाम 5000/- (पाँच हजार मात्र)एक डिमांड ड्राफ्ट(AC NO 3265010065240) IFSC CODE UBIN0532657
    e) निविदा कर्ता/फर्म के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
    f) निविदा कर्ता के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
    g) कैन्टीन संचालन का अनुभव प्रमाणपत्र, यदि हो

    को पूरित कर मुहरबंद लिफ़ाफ़े मे रखकर लिफ़ाफ़े के ऊपर " कैन्टीन संचालन हेतु तकनीकी बिड " लिखा जाना चाहिए
4. वित्तीय बिड को पूरित कर अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़े मे रखकर लिफ़ाफ़े के ऊपर " कैन्टीन संचालन हेतु वित्तीय बिड " लिखा जाना चाहिए।
5. तकनीकी बिड और वित्तीय बिड वाले अलग-अलग लिफ़ाफ़ों को पुन: बड़े मुहरबंद लिफ़ाफ़े मे रखकर लिफ़ाफ़े के ऊपर " कैन्टीन संचालन हेतु निविदा " लिखा जाना चाहिए।
6. निविदा को साफ -साफ अक्षरों/शब्दों मे भरा जाना चाहिए तथा दिनांक के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
7. निविदा मे किसी भी प्रकार की ऑवरराइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए।
8. ऑवरराइटिंग या कटिंग पाए जाने पर अथवा हस्ताक्षरित न होने पर निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. सशर्त या काल्पनिक निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. निविदा जमा होने के बाद निविदाकर्ता द्वारा उसे वापस नहीं लिया जा सकता तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

11. निविदा प्रपत्र के पैराग्राफ 1 से 40 तक वर्णित शर्तों के अधीन ही निविदा जमा की जानी चाहिए।
12. पैरा 5 में वर्णित मुहरबंद लिफ़ाफ़े को पंजीकृत डाक / द्रुतगामी डाक के माध्यम से दिनांक 09/02/2025 तक विद्यालय मे प्राप्त हो जाना चाहिए।

13. निविदा भेजने का पता है :-
प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय रतलाम, सागोद रोड रतलाम, 457001
14. दिनांक 09/02/2025 , 3:00 pm के पश्चात विद्यालय कार्यालय में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. निविदा को दिनांक 10/02/2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्राचार्य कक्ष में निविदाकर्ताओ की उपस्तिथि में विद्यालय की क्रय समिति के सदस्यों के सम्मुख खोला जाएगा।
16. यदि 10/02/2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे एक भी निविदाकर्ता विद्यालय में उपस्तिथ नहीं पाता है तब भी निविदा को पूर्व निर्धारित समय पर क्रय समिति के सदस्यों के सम्मुख खोला जाएगा।
17. जो तकनीकी बिड में सफल होंगे केवल उन्ही निविदाकर्ताओं का वित्तीय बिड खोला जाएगा।
18. विद्यालय कैन्टीन के संचालन हेतु प्राप्त केवल उच्च दर वाली निविदा को ही स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। कैन्टीन के संचालन हेतु आवंटन प्राप्त करने का सर्वाधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित है।
19. निविदा को स्वीकार कर आवंटन प्रदान करने पर यह एक संविदा हो जाएगा ओर यह के. वि. सं. नियमों/निविदा शर्तों/ सामान्य वित्तीय नियम के अधीन बाध्यकारी होगा।
20. सफल निविदाकर्ता को के. वि. सं./विद्यालय प्रशासन /स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
21. सफल निविदाकर्ता को रुपये दस हजार मात्र की धनराशि प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विद्यालय में जमा करवानी होगी।
22. विद्यालय कैन्टीन का आवंटन एक वर्ष के लिए होगा, संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर आवंटन अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकता है परंतु कुल विस्तार तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होगी।
23. विद्यालय कैन्टीन का संचालन सफल निविदाकर्ता द्वारा ही किया जाएगा। उसे किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
24. विद्यालय कैन्टीन के खुलने और बंद करने का समय का निर्धारण विद्यालय क्रय समिति की सिफारिश पर विद्यालय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
25. विद्यालय कैन्टीन में विद्यालय क्रय समिति द्वारा निर्धारित वस्तुओं का ही संग्रह और बिक्री की जाएगी जिसका विवरण निम्नवत है :

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा
1	**पोहा (सेव प्याज सहित)**	**100 ग्राम**
2	**कचौरी**	**70 ग्राम**
3	**समोसा**	**70 ग्राम**
4	**आलू बड़ा**	**70 ग्राम**
5	**ब्रेड बड़ा**	**140 ग्राम**
6	**फ्रूट सलाद**	**150 ग्राम**
7	**छोले भठूरे**	
8	**चाय**	**60 ML**
9	**कॉफ़ी**	**60 ML**
10	**दूध**	**100 ML**
11	**फ्रूट जूस (SEASONAL)**	**100 ML**
12	**लडडू**	**50 ग्राम**
13	**भोजन थाली (2 सब्जी, दाल-चावल, चपाती, मिठाई, सलाद, छाछ)**	**के वि सं के नियमानुसार**
14	**आलू पराठा दही के साथ**	
15	**मिक्स भजिये**	**100 ग्राम**

26. विद्यालय क्रय समिति द्वारा निर्धारित वस्तुओं के अलावा अन्य किसी भी सामग्री का संग्रह और बिक्री विद्यालय कैन्टीन द्वारा नहीं किया जाएगा।
27. किसी भी सामग्री के लिए विक्रय मूल्य एम. आर. पी. से अधिक नहीं होना चाहिए।
28. विद्यालय प्रशासन / स्थानीय प्रशासन द्वारा गठित टीम पूर्व सूचना के बिना कभी भी कैन्टीन में संग्रहीत तथा विक्रय की जा रही वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेगी, कैन्टीन संचालक को निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करना होगा।
29. कैन्टीन भवन विद्यालय की संपत्ति है, रख–रखाव और मरम्मत हेतु उसे खाली करवाया जा सकता है तथा उसे लिए संचालक को कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान किया जाएगा।
30. कैन्टीन संचालक द्वारा पैरा 23 से 29 तथा 34 से 40 तक का पालन नहीं कर पाने की स्थिति में विद्यालय प्रशासन द्वारा आवंटन निरस्त कर कैन्टीन संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
31. कैन्टीन संचालक की सेवायें संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में विद्यालय प्रशासन आवंटन निरस्त कर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. प्रथम सफल निविदाकर्ता का आवंटन निरस्त हो जाने पर वरीयता क्रम के अनुसार द्वितीय/तृतीय/तदैव सफल निविदाकर्ता को आवंटन किया जा सकेगा।
33. विद्यालय किसी भी प्रकार के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। समस्त करों का भुगतान कैन्टीन संचालक द्वारा किया जाएगा।
34. कैन्टीन संचालक अपने आस-पास के क्षेत्र में अपने खर्च पर डस्ट्बिन तथा साफ़ सफाई की व्यवस्था करेगा।
35. कैन्टीन संचालक तथा कैन्टीन कार्मिकों हेतु संचालक द्वारा अनिवार्य रूप से पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
36. कैन्टीन कार्मिकों को कैन्टीन पर पहचान पत्र के बिना पाए जाने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये सौ मात्र का जुर्माना किया जा सकेगा।
37. कैन्टीन संचालक तथा कैन्टीन कार्मिकों का पुलिस सत्यापन विवरण आवंटन के एक सप्ताह के अंदर विद्यालय कार्यालय में जमा करवाना होगा।
38. कैन्टीन संचालक तथा कार्मिक विद्यालय कैन्टीन क्षेत्र के अलावा परिसर के अन्य स्थानों पर नहीं जाएंगे। इससे विद्यालयीय गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
39. कैन्टीन संचालक तथा कार्मिक विद्यालय गरिमा के अनुकूल मर्यादित आचरण करेंगे।
40. इस निविदा प्रपत्र के दिशा निर्देश पर निविदा कर्ता द्वारा दो गवाहों की उपस्तिथि में हस्ताक्षरित कर निविदा के तकनीकी बिड के प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 6307340407, 6377036519 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय
रतलाम

कैंटीन सर्विसेज की निविदा के लिए प्रारूप

सेवा में,

प्राचार्य

पीएम श्री के वि रतलाम

विषय : पीएम श्री के वि रतलाम में कैंटीन सर्विसेज प्रारंभ करने हेतु निविदा |

महोदय ,

आपके निविदा सूचना दिनांक 27.01.2025 के सन्दर्भ में, मैं मांगे गए अपेक्षित विवरण/सूचना के अनुसार एतद्द्वारा अपनी फर्म और बोली के बारे में अन्य विवरण निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ :

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	टेंडर मूल्य प्रति सामग्री/वस्तु
1	पोहा (सेव प्याज सहित)	100 ग्राम	
2	कचौरी	70 ग्राम	
3	समोसा	70 ग्राम	
4	आलू बड़ा	70 ग्राम	
5	ब्रेड बड़ा	140 ग्राम	
6	फ्रूट सलाद	150 ग्राम	
7	छोले भठूरे		
8	चाय	60 ML	
9	कॉफ़ी	60 ML	
10	दूध	100 ML	
11	फ्रूट जूस (SEASONAL)	100 ML	
12	लडडू	50 ग्राम	
13	भोजन थाली (2 सब्जी, दाल-चावल, चपाती, मिठाई, सलाद, छाछ)	के वि सं के नियमानुसार	
14	आलू पराठा दही के साथ		
15	मिक्स भजिये	100 ग्राम	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय/संभाग स्तरीय प्रतियोगिता/कैम्प अथवा अन्य किसी गतिविधि हेतु अधोलिखित चार्ट में वर्णित मेनू को आधार मानते हुए कैंटीन संचालक को भोजन/आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

S.NO.	ITEMS	ITEMS/MATERIALS	QUANTITY/WEIGHT	Charges for per person (in Rs.)
1	Break-fast	**1.** Milk-	200 ml or more	Maximum Rs. 400/- PER DAY AS PER KVS NORMS LTTER NO. F.11055/01/2024-25/KVS(HQ)//SPORTS/Enhancement DATED 27.05.2024
		2. Breads with Butter & Jam	As per need	
		3. Idli - Bada with Sambhar & Chatni ---OR--- Aloo Parantha & Curd	As per need	
		4. 02 Bananas or Apple-01 ---OR--- Sprouts with dry fruits	Minimum 150 -200 gm ---OR-- 50Gm.	
2	Lunch And Dinner	1. Chapati (Tawa /Tandoor Roti) 2. Rice simple 3. Daal /Razma/Chhole(Anyone) 4. Mixed Veg (Seasonal veg) 5. Paneer ---OR-- **(Mandatory with lunch /Dinner)** 6. Salad & Pickle 7. Papad (Branded) 8. Curd / Rayta	As per need	
		9. Sweet dish – Sweet/Fruits Custard/Seasonal Fruits(any one)	100-150 Gm.	
3	Evening (Snacks	1. Juice Packed (Seasonal)	80-100 ml	
		2. Snacks-Sandwich/Samosa /Aaloo Bonda	02 or more	
5	Night (before sleep)	1. Milk with flavor & Sugar - --OR-- Ice-Cream	200m or more ---OR-- - 40-60 Ml	
Total amount in Rs.				

निविदाकर्ता के लिए –

मुझे/हमें उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर ……………..

नाम ……………..……………..

पत्र-व्यवहार का पता ……………..……………..……………..

मोबाईल नंबर ……………..…

दिनांक ……………..

मुहर ……………..

1. गवाह

   हस्ताक्षर ……………..

   नाम ……………..……………..

   पत्र-व्यवहार का पता ……………..……

   ………..……………..

2. गवाह

   हस्ताक्षर ……………..

   नाम …………….……….

   पत्र-व्यवहार का पता ……………..……

   ………..……………..

<u>पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम</u>

<u>निविदा प्रपत्र</u>

<u>कैन्टीन संचालन हेतु वित्तीय बिड</u>

मैं/हम पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम स्थित विद्यालय कैन्टीन के संचालन हेतु मासिक किराया रुपये (अंकों में) .... मात्र.
(शब्दों में) .... मात्र उद्धृत करता हूँ/करते हैं।

#विशेष:-अंकों और शब्दों में अंतर पाए जाने पर शब्दों में लिखी धनराशि मान्य होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम :...

पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

स्थान :..

मुहर